

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2023/323

दिनांक : 1/9/23

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/सामान्य/प-156/2023/320 दिनांक 31.08.2023 द्वारा जारी विशिखानु प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु जारी सूची निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं.	आदेश मे क्र.सं.	छात्रा का नाम	संशोधन
1	10	डॉ अरविन्द विश्नोई पुत्र श्री शंकर लाल विश्नोई	प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जयपुर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम पढ़ा जावै।
2	7	डॉ दीपक कुमार मीणा पुत्र श्री जयकिशन मीणा	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय पढ़ा जावै।
3	6	डॉ मनीष कुमार मीणा पुत्र श्री कमोद राम मीणा	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय पढ़ा जावै।
4	8	डॉ भावना यादव पुत्री श्री विजय सिंह यादव	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम पढ़ा जावै।
5	9	डॉ आरती कुमारी गुर्जर पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम पढ़ा जावै।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2020/323

दिनांक : 1/9/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर।